न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 196/2024
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील सिरसा हाल तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. केसर पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवास रामपुरा ढिल्लो तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
2. ज्ञानादेवी पत्नी मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 24/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 112/110 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि मुन्शी पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शी पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम का स्वर्गवास हो चुका है मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के पिता मुन्शीराम ने दिनांक 08.08.2024 को वादी के पक्ष में वसीयत करवा दी थी। मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा धानसिया खाता स0 12 सम्वत 2071–74, चित्रप्रति वसीयतनामा, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा, मृत्यु प्रमाण मुन्शीराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम का स्वर्गवास हो चुका है मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के पिता मुन्शीराम ने दिनांक 08.08.2024 को वादी के पक्ष में वसीयत करवा दी थी। मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 112/110 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 112/110 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुन्शीराम पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक मुन्शीराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 112/110 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि मुन्शी पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मुन्शी पुत्र सांवलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:16:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 196/2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील सिरसा हाल तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. केसर पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवास रामपुरा ढिल्लो तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
2. ज्ञानादेवी पत्नी मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 196 सन 2024 निर्णय दिनांक – 24/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 112/110 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि मुन्शी पुत्र सावंलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मुन्शी पुत्र सांवलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:16:54 IST
Reason: SelfAttested